सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021/10 दर्ज तिथिः—18.01.2021

1. रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र सुंडाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. अमित पुत्र सीताराम, जाति— बोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
2. (फौत) कमी पुत्री सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
3. (फौत) गीता पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
4. द्रोपदी पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
5. नरेश पुत्र सीताराम, जाति — ढोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
6. बाबूलाल पुत्र धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
7. मुकेश पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
8. मंजू पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
9. रुकमनी पत्नी धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
10. रणवीर पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
11. राजकुमार पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
12. (फौत) रामसरूप पुत्र धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. राहुल पुत्र सीताराम, जाति ढोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
14. लक्ष्मीदेवी पत्नी श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू (राज.)
15. लिछमा पुत्री सुंडाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
16. विकासदेव पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. संजू देवी पत्नी निरंजन, जाति ढोली निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
18. सुन्दर पुत्री सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
19. संपत पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
20. सुमित्रा पुत्री श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
21. सरोज पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
22. सिलोचना पत्नी सीताराम, जाति ढोली निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
23. सोनिकाकुमारी पुत्री श्रवणराम, जाति—मेघवाल निवासी रामसरा तह. व जिला चुरु (राज.)
24. हुणताराम पुत्र सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण—

रामलाल बनाम अमित आदि
2021 / 10
निर्णय दिनांकः–15.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री अनन्तराम सोनी
प्रतिवादी 7,14,16,19ः– श्री जयसिंह नायक

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की सहखातेदारी की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रामसरा पटवार हल्का खासोली, भू. अभि.नि.क्षेत्र– रतननगर, तहसील व जिला चुरु के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हैं जमाबंदी (खेक्ट / बतौनी) सम्वत 2071–2071, खाता स. नया 336, खाता स. पुराना 273, के अनुसार खसरा न. 360 तादादी 6.3991 हैक्टर, बसरा न. 361 तादादी 1.7958 हैक्टर, बारानी की खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड में क्रमशः अमित पुत्र सीताराम, हिस्सा 1/64, जाति– बोली, निवासी रामसरा, कमी पुत्री सोहनराम, हिस्सा 1/16 जाति मेघवाल निवासी रामसरा, गीता पुत्री धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, द्रोपदी पुत्री धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, नरेश पुत्र सीताराम, हिस्सा 1/64, जाति ढोली, निवासी रामसरा, बाबूलाल पुत्र धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, मुकेश पुत्र श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, मंजू पुत्री धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, रुकमनी पत्नी धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, रणवीर पुत्र श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, राजकुमार पुत्र श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र सुंडाराम, हिस्सा 1/12, जाति मेघवाल, निवासी रामसरा, रामस्वरूप पुत्र धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, राहुल पुत्र सीताराम, हिस्सा 1/64, जाति ढोली, निवासी रामसरा, लक्ष्मीदेवी पत्नी श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, लिछमा पुत्री सुंडाराम, हिस्सा 1/12, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, विकासदेव पुत्र श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, संजू देवी पत्नी निरंजन, हिस्सा 1/4, जाति ढोली निवासी रामसरा, सुन्दर पुत्री सोहनराम, हिस्सा 1/16, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, संपत पुत्र श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, सुमित्रा पुत्री श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, सरोज पुत्री धन्नाराम, हिस्सा 1/28, जाति मेघवाल निवासी रामसरा, सिलोचना पत्नी सीताराम, हिस्सा 1/64, जाति ढोली निवासी रामसरा, सोनिकाकुमारी पुत्री श्रवणराम, हिस्सा 1/96, जाति–मेघवाल, निवासी रामसरा, हुणताराम पुत्र सोहनराम, हिस्सा 1/16, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.) खातेदार के नाम से हैं।

2. काश्तकार सुंडाराम पुत्र स्व. सुरजाराम [illegible] मुकाम रामसरा सन 1970 में लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। सुंडाराम के एक पुत्र [illegible] रामलाल उर्फ रामूराम तथा एक पुत्री लिखमा जो सुंडाराम के जायंद[illegible] स्वर्गवास होने पर रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादी जिसको घरेलू नाम रामलाल पुत्र सुंडाराम [illegible] नाम से पुकारा जाता है तथा स्कूल रिकॉर्ड में एवं आधार कार्ड में आधार कार्ड स. 5891247[illegible]33 में रामूराम पुत्र सुंडाराम निमेल, जाति मेघवाल हैं। इस प्रकार रामलाल पुत्र सुंहाराम के नाम से वादगत खसरो की जमीन 360, 361 रेवेन्यू रिकॉर्ड में बतौर खातेदार चढ़ गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested

3. वादी के पिता का स्वर्गवास सन 1970 में लगभग 50 वर्ष पूर्व हो गया है। लेकिन सुंडाराम के स्वर्गवास के बाद रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र सुंडाराम दर्ज कर दिया गया। वास्तविकता यह हैं कि रामलाल एवं रामूराम एक ही व्यक्ति हैं दो अलग–अलग नहीं हैं। चूंकि वादी रामूराम उर्फ रामलाल अपनी कृषि भूमि पर माननीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहता हैं जो खातेदारी में गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्राप्त करने में असमर्थ हैं । जिस वजह से वह उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है तथा रामूराम उर्फ रामलाल को भविष्य में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आयें इस कारण वादी रेवेन्यु रिकॉर्ड में अपना नाम रामूराम पुत्र सुंडाराम दर्ज करवाना चाहता हैं। जिस हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जाता हैं।

4. वादी ने तहसीलदार महोदय, चुरु व पटवार हल्का खासोली से सम्पर्क किया तथा रामलाल के स्थान पर रामूराम पुत्र सुंडाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील चुरु लिखने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रेवेन्यु रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी चुरु के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का दिंनाक 09.11.2020 को कहा।

5. इस दावें का हैतुक उपरोक्त मद में लिखे कारण हैं तथा खातेदारी में गलत नाम अंकन होने से यह दावा प्रस्तुत करने के लिए वादी को वादकारण व वाद हैतुक प्राप्त हैं।

6. वादी गावं रामसरा तहसील व जिला चुरु का स्थायी निवासी हैं तथा आधार कार्ड में तथा मसमबजपवद बवउउपेपवद बंतक में भी वादी का नाम रामूराम पुत्र सुंडाराम दर्ज हैं। अतः यह दुरुस्ती रिकॉर्ड का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता हैं जिस हेतु 2 रूपए न्यायशुल्क पर यह दावा हर प्रकार अंदर मियाद हैं तथा काबिल समाअत अदालतवाला हैं ।

अतः दावा–हाजा प्रस्तुत करके प्रार्थना वादी हैं कि दावें हाजा की डिक्री बहक वादी निचे लिखे अनुसार जारी फरमायी जायें:–

(क) रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में खातेदार रामलाल पुत्र सुंडाराम के नाम के स्थान पर रामूराम पुत्र सुंडाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें तथा तहसीलदार चुरु को इस हेतु निर्देश दिये जायें कि वे रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार नाम दुरुस्ती करें।

(ख) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हक का हो। भविष्य में हो जावें प्रदान किया जायें।

7. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 7, 14, 16, 19 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह नायक ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जिसमें दावा मद संख्या 1 ता 4 सही व स्वीकार किया है। मद संख्या 5 व 6 कानूनी व सही होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा के अंतिम पेरा मं चाहा गया अनुतोष न्यायालय वादी को प्रदान करे तो हम प्रतिवादीगण को आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रतिवादी [illegible] की ओर से पटवारी हल्का से जांच करवाई जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें [illegible] कृषि भूमि खसरा नंबर 360 तादादी 6.3991 हैक्टेयर खसरा नंबर 3[illegible] रामसरा में रामलाल पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र [illegible] के संबंध में पटवारी हल्का खासौली से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का खासौली ने अव[illegible] कराया है कि प्रश्नगत भूमि में रामलाल पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र सुण्डाराम नामान्तरकरण संख्या 1873 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा दर्ज हो गया है। पटवारी हल्का खासौली की रिपार्ट एवं जमाबंदी पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान को सादर अवलोकनीय है। पत्रावली में दिनांक 25.02.2021 को प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए जिन पर अंकित आया कि प्रतिवादी संख्या 02, 03, 12 फौत हो चुके हैं। अधिवक्ता वादी को कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र हेतु काफी अवसर दिये गये परन्तु आदिनांक दावा में कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

8. अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में खातेदार रामलाल पुत्र सुंडाराम के नाम के स्थान पर रामूराम पुत्र सुंडाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी सं. 7, 14, 16, 19 की ओर से भी कोई आपति नहीं है। रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार नाम दुरुस्ती करें।

9. वादी द्वारा प्रस्तुत दावा, प्रतिवादीगण के जवाब, पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता वादी की बहस गौर किया गया वादी ने यह दावा राजस्व अभिलेखों में अपने नाम की दुरुस्ती (रामलाल के स्थान पर रामूराम) करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या 02, 03 एवं 12 वाद की कार्यवाही के दौरान फौत हो चुके हैं, जिसकी सूचना समन तामील रिपोर्ट दिनांक 25.02.2021 में अंकित है। न्यायालय द्वारा वादी को उपरोक्त मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त एवं यथोचित अवसर प्रदान किए गए, तथापि वादी द्वारा न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही आज दिनांक तक मृत प्रतिवादीगण के विधिक प्रतिनिधियों को वाद में प्रतिस्थापित किया गया। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती तथा उसके स्थान पर विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर वाद उस सीमा तक अभिहीन (abated) हो जाता है। वर्तमान प्रकरण में, मृत प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार हैं, क्योंकि वे वादगत भूमि के सहखातेदार हैं और उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अतः उनके बिना वाद का प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय किया जाना विधिसम्मत नहीं है। वादी द्वारा आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण वाद विधि अनुसार दोषपूर्ण हो गया है तथा इस स्थिति में वाद का गुण–दोष के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का दावा प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण विचारणीय नहीं रह गया है। अतः

आदेश है कि

वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–88 प्रस्तुत दावा मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा आवश्यक पक्षकारों के अभाव के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दि[illegible]04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021 / 10 दर्ज तिथिः–18.01.2021

1. रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र सुंडाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. अमित पुत्र सीताराम, जाति– बोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
2. (फौत) कमी पुत्री सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
3. (फौत) गीता पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू (राज.)
4. द्रोपदी पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
5. नरेश पुत्र सीताराम, जाति – ढोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
6. बाबूलाल पुत्र धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
7. मुकेश पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
8. मंजू पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
9. रुकमनी पत्नी धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
10. रणवीर पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
11. राजकुमार पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
12. (फौत) रामसरूप पुत्र धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. राहुल पुत्र सीताराम, जाति ढोली, निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
14. लक्ष्मीदेवी पत्नी श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू (राज.)
15. लिछमा पुत्री सुंडाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
16. विकासदेव पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. संजू देवी पत्नी निरंजन, जाति ढोली निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
18. सुन्दर पुत्री सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
19. संपत पुत्र श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
20. सुमित्रा पुत्री श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
21. सरोज पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
22. सिलोचना पत्नी सीताराम, जाति ढोली निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
23. सोनिकाकुमारी पुत्री श्रवणराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तह. व जिला चुरु (राज.)
24. हुणताराम पुत्र सोहनराम, जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरु (राज.)
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण–

रामलाल बनाम अमित आदि
2021 / 10
निर्णय दिनांकः–15.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री अनन्तराम सोनी
प्रतिवादी 7,14,16,19:– श्री जयसिंह नायक

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–88 प्रस्तुत दावा मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा आवश्यक पक्षकारों के अभाव के कारण खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:00 IST
Reason: SelfAttested